भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 538

(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डिजिटल जीवन प्रमाणन पहल

538. श्री पी. पी. चौधरी:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री नलिन सोरेन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पहल के माध्यम से दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों और सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए अपवर्जन त्रुटियों में कमी के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस पहल के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के माध्यम से निस्तारण समय और प्रशासनिक बोझ में प्राप्त स्पष्ट कमी का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने ऐसे किसी मापनीय संकेतकों की पहचान की है जो सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाते हैं; और
(ङ) यदि हाँ, तो लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत लाभार्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन आधार का उपयोग करके लाभार्थी का ब्यौरा प्राप्त करता है , सहमति प्राप्त करता है और चेहरे की पहचान या बायोमीट्रिक स्कैन के माध्यम से पहचान को प्रमाणित करता है। सफल सत्यापन होने पर, तत्काल एक जीवन प्रमाणपत्र तैयार होता है और लाभार्थी को मोबाइल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पहल , जीवन प्रमाणन के लिए कार्यालयों में स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता को समाप्त करके वरिष्ठ नागरिकों और जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है ऐसे व्यक्तियों के योजना के दायरे से बाहर हो जाने जैसी त्रुटियों को कम करती है। मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग द्वारा स्व-डिजिटल सत्यापन और घर-घर-जाकर सत्यापन की सुविधा प्रदान करके , यह पहल जीवन प्रमाणपत्र समय पर जमा करना सुनिश्चित करती है , जिससे पेंशन का अनावश्यक बंद होना रोका जा सके और कमजोर लाभार्थियों के लिए निरंतर आय सहायता सुनिश्चित की जा सके।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पहल ने मैनुअल, कागज-आधारित सत्यापन के स्थान पर तत्काल डिजिटल प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करके प्रक्रिया में लगने वाले समय और प्रशासनिक भार को कम किया है। डीएलसी के माध्यम से , सत्यापन तत्काल या 24-48 घंटों के भीतर पूरा हो जाता है।

इसकी शुरूआत से डिजिटल रूप से तैयार किए जाने वाले जीवन प्रमाणपत्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है , यह व्यापक दायरे और लाभार्थियों , विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है ऐसे व्यक्तियों तक आसान पहुंच का संकेत देता है। यद्यपि , एनएसएपी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से है उल्लेख है कि किसी भी लाभार्थी को बैंक/डाकघर खाते और/या आधार संख्या की अनुपलब्धता के आधार पर सहायता राशि से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग और डिजिटलीकरण से लाभार्थियों को लाभों के वितरण में बाधा उत्पन्न न हो। एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) सक्रिय लाभार्थियों की जानकारी और पंजीकृत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों सहित दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

डिजिटल जीवन प्रमाणन पहल के संबंध में लोकसभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 538 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	कुल सक्रिय लाभार्थी	कुल पंजीकृत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
1	दुमका	52091	29720
2	जामताड़ा	38974	23749
3	देवघर	44820	19886

(स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सक्रिय लाभार्थियों का ब्यौरा (एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल के अनुसार) और पंजीकृत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

क्र.सं.	राज्य	कुल सक्रिय लाभार्थी	कुल पंजीकृत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
1	अंडमान और निकोबार	588	447
2	आंध्र प्रदेश	2289991	4
3	अरुणाचल प्रदेश	50338	1
4	असम	818456	277976
5	बिहार	4595741	22465
6	चंडीगढ़	4964	1
7	छत्तीसगढ़	804882	603649
8	दिल्ली	140627	224
9	गोवा	13684	0
10	गुजरात	724889	486442
11	हरियाणा	443964	35
12	हिमाचल प्रदेश	116005	28
13	जम्मू और कश्मीर	135313	36450
14	झारखंड	1097732	605825
15	कर्नाटक	1396243	454215
16	केरल	856962	2
17	लद्दाख	7157	410
18	लक्षद्वीप	256	0
19	मध्य प्रदेश	1952949	28757
20	महाराष्ट्र	1210245	318763
21	मणिपुर	64170	26519
22	मेघालय	65344	17345
23	मिजोरम	27441	463
24	नागालैंड	62055	0
25	ओडिशा	1945205	55402
26	पुदुचेरी	28986	0
27	पंजाब	52822	43804
28	राजस्थान	1144601	150
29	सिक्किम	1924	0

30	तमिलनाडु	1766374	4
31	तेलंगाना	710643	16
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	19446	0
33	त्रिपुरा	137970	89810
34	उत्तराखंड	229166	11
35	उत्तर प्रदेश	5832339	1495
36	पश्चिम बंगाल	2013452	1758201
	कुल	30762924	4828914

(स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल)

****